न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 137/2022 बउनवानी बी.एस.शर्मा बनाम लो.सू.अधि.एवं अति0 जिला कलेक्टर, स0मा0 निवासी,32ए राजबिहार कॉलोनी, राजकीय कन्या महाविद्यालय के पास, सवाईमाधोपुर

GCMS No-2022/224

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
6.12.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 4.9.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः— 1. यह है कि रणथम्भौर रोड़ ग्राम आलनपुर के ख0न0 578/1828 एवं 577 भूमि की किस्म की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे। उक्त ख0न0 के नये नम्बर है तो दर्शाये तथा उक्त ख0न0 577 एवं 578/1828 की कुल कितनी भूमि सरकारी राजस्व रिकार्ड मे दर्शायी गयी है। श्रीमान के आदेश से उक्त ख0न0 मे से कितनी कितनी भूमि किसको आवंटित की गयी है या नही अवगत करावे। उपरोक्त ख0न0 का सरकार द्वारा नियमन किया गया है तो उसकी प्रमाणित प्रति के साथ मौका रिपोर्ट एवं नक्शा ट्रेस की प्रति उपलब्ध करावे। 2. जिला कलेक्टर महोदय के आदेश क्रमांक एवं दिनांक सहित तहसील सवाईमाधोपुर मे सत्र 1995 से 2011 तक कौन कौनसी शिक्षण संस्थाओं को राज्य सरकार द्वारा कौन कौन से स्थानों पर कितनी कितनी निःशुल्क भूमि किस आधार से आवंटन की गयी है। 3. यह कि श्रीमान अति0 पुलिस अधीक्षक,(परि.) कार्यालय महानिरीक्ष, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक भ्रनिब्यूरो/सीएमहैल्पलाईन/2021/1570—71 दिनांक 23.2.2021 के पत्र के साथ संलग्न मूल परिवेदना मे आवश्यक कार्यवाही हेतु श्रीमान जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के परिवाद संख्या एच 406/2021 दिनांक 12.2.2021 की जॉच कर श्रीमान अति0 पुलिस अधीक्षक को भेजी गयी जॉच रिपोर्ट की प्रति से शिकायतकर्ता को सम्पूर्ण की गयी जॉच की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस क्रमांक एफ. 2(223)/सूकाअ/2022/1320 दिनांक 16.11.2022 से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 4.9.2022 के बिन्दु संख्या 1 लगायत 2 मे चाही गयी सूचना के संबंध मे तहसीलदार सवाईमाधोपुर के पत्रांक 7256 दिनांक 28.9.2022 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है कि वांछित सूचना प्रश्नात्मक एवं पूर्ण विवरण अंकित नही होने के कारण उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नही है। सतर्कता अनुभाग से संबंधित बिन्दु संख्या 3 की सूचना अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 4.9.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 लगायत 2 मे चाही गयी सूचना के संबंध मे तहसीलदार सवाईमाधोपुर के पत्रांक 7256 दिनांक 28.9.2022 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है कि वांछित सूचना प्रश्नात्मक है एवं सूचना का पूर्ण विवरण अंकित नही होने के कारण उपलब्ध नहीं करवायी गयी है। बिन्दु संख्या 3 की शेष सूचना पुलिस विभाग से संबंधित है। उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] बाद तकमील दाखिल [illegible]ख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Suresh Kumar Ola Date: 2023.03.17 17:40:34 IST Reason: SelfAttested (सुरेश कुमार ओला) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर